न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 51/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
आईदानराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी कुचेरा तहसील व जिला नागौर।		राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री ठाकुर प्रसाद राठी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 07.07.2025

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर के प्रकरण संख्या 08/2010 सरकार बनाम आईदानराम में निर्णय दिनांक 05.04.2010 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.04.11 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 19.04.11 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में मौजा कुचेरा के खसरा परिवर्तनशील जमाबंदी संवंत 2039, 2043, 2053 तथा 2056 की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 08/10 की सम्पूर्ण पत्रावली की फाटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.11 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि निर्णय जैर अपील की दिनांक 15.04.11 से पहले अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं रही थी। विदित रहे कि उक्त निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति में सुनाया गया था उस समय अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को यही कहा गया था कि निर्णय होगा तो उसको सूचना दे दी जायेगी परन्तु ऐसी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं मिली अभी दिनांक 13.04.11 को पटवार हल्का कुचेरा ने अपीलार्थी को कहा कि उसके उक्त जायगा पर से बेदखल करने का आदेश है इसलिए बेदखल करेगे। इस पर अपीलांट को भारी अचम्भा हुआ। चूंकि दिनांक 14.04.11 को सार्वजनिक अवकाश था तत्पश्चात दिनांक 15.04.11 को अपीलांट तहसीलदार नागौर के कार्यालय में पहुंचा व उक्त निर्णय के बारे में जानकारी की तो अपीलार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 15.04.11 की अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तत्पश्चात दिनांक 16.04.11 व दिनांक 17.04.11 को सावर्जनिक अवकाश होने से दिनांक 15.04.11 की सायं को मिली प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर उक्त अपील न्यायालय खुलते ही दिनांक 18.04.11 को पेश की गई, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– निर्णय जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है।

{2}(II)– खसरा नम्बर 2131 अपीलार्थी का अपने पिता के समय से पिछले 40–45 वर्षो से ज्यादा समय से निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा है। मौके पर बाडा बना हुआ है, जिस बाडा में पशुओं को बांधने का कार्य होता है जिससे पायगा (ढालिया) लोहे के टीन चढाकर बना हुआ है। उक्त बाडे का समस्त निर्माण 40–45 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। इसकी पुष्टि राजस्व रेकर्ड से भी होती है। इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय ने किचित मात्र भी घोर नहीं किया है। इस आधार पर निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–वादग्रस्त भूमि जो बतायी जा रही है वस्तुतः उक्त भूमि नगरपालिका मण्डल कुचेरा के क्षेत्र में आयी हुई भूमि है। ऐसी भूमि के संबंध में पटवार हल्का कुचेरा व तहसीलदार नागौर को कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहता है। इस प्रकार से उपरोक्त समस्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण इस आधार पर निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

07/7/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.05.2000 के अनुसार वादग्रस्त भूमि नियमन किये जाने योग्य थी इस संबंध में तहसीलदार राजस्व को चाहिए था कि उक्त प्रकरण को नियमन योग्य मानते हुए नियमन की सिफारिश करते हुए नगर पालिका मण्डल कुचेरा को नियमन हेतु भिजवाया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्य की भारी भूमि की है। इस आधार पर निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–मौके पर न तो कोई गोचर है एवं न ही कोई गोचर जैसा अस्तित्व व अलामात है। इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय ने किचिंत मात्र भी घोर नहीं किया है। इस आधार पर आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)– वादग्रस्त जायगा पर अपीलार्थी व उसके पिता का पिछले 40–45 वर्षो से भी ज्यादा समय से निरंतर शांति पूर्वक कब्जा है। अपीलार्थी व उसके पिता का एलानिया कब्जा रहा है इस प्रकार से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादग्रस्त जायगा के स्वामी अपीलार्थी बन गया था। इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय ने किचिंत मात्र भी घोर नहीं किया है। इस आधार पर निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया न तो अपीलार्थी से जवाब के लिए पेशी नियत की गई है न ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सबूतों को रेकर्ड पर लिया गया। उक्त प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों का खुलमखुल्ला उल्लघंन हुआ है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार किसी भी पक्ष को सुनवाई का पूर्ण एवं युक्तियुक्त अवसर दिया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय ने किचिंत मात्र भी गौर नहीं किया है। इस आधार पर निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है

{2}(VIII)–उक्त प्रकरण में वादग्रस्त जायगा विधि अनुसार अपीलार्थी के नाम से नियमन योग्य जायगा थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई घोर नहीं करके विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। इस आधार पर निर्णय जैर अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(IX)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उक्त निर्णय का भी ससम्मान आवलोकन करे तो यह स्थिति सामने आती है कि कैसे व किस प्रकार से उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अतिक्रमी माना गया है, के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं है न ही पटवार हल्का कुचेरा के सशपथ बयान है। ऐसी स्थिति में कोई बचाव व प्रतिपरीक्षण करने का मौका अपीलार्थी को नहीं मिला है। इन सभी आधारों पर निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}–रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा कुचेरा के गैर मुमकिन गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर उक्त कार्यवाही की है, जो सही एवं उचित होने से तहसीलदार नागौर द्वारा पारित आदेश यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा मौजा कुचेरा से संबंधित आदेश प्रकरण संख्या 08/2010 सरकार बनाम आईदानराम में निर्णय दिनांक 05.04.2010 से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पटवारी हल्का कुचेरा की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके कुचेरा की गैर मुमकिन गोचर पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/7/12

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर